न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 68/2017

1. श्री भंवर लाल
2. श्री रामदेव
3. श्री मेवा
4. श्री गोपाल
   पुत्रगण श्री शादुल
5. श्रीमति राधा पुत्री श्री शादुल
6. श्री बाला पुत्र श्री माधा
7. श्री बीरमा
8. श्री घासी
9. श्री प्यारा
   पुत्रगण श्री भारमल समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम डोडियाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री नारायण पुत्र श्री ज्वार जाति भांभी निवासी ग्राम मांगलियावास हाल डोडियाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार द्वारिये नायब तहसीलदार पीसांगन जिला अजमेर।

.....रेस्पोडेन्टस

3. श्री हरचंद पुत्र श्री मांगू जाति गुर्जर निवासी ग्राम डोडियाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
4. रतनी पत्नी श्री रंगलाल जाति गुर्जर निवासी छोलीयां का डोडियाना तहसील रियां जिला नागौर।
5. नौरती बेवा मांगू जाति गुर्जर निवासी ग्राम डोडियाना तहसील रियांबड़ी जिला नागौर।

.....तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— 1. श्री दुनीचंद डिढ़ारिया, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री सर्मद अहमद, वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से ।
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

Scanned by CamScanner

—: आदेश :—

दिनांक 26.07.2017

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 28.02.2002 को श्री नारायण पुत्र श्री ज्वारा जाति भंबी निवासी ग्राम मांगलियावास द्वारा उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम के डोडियाना राजस्व रेकार्ड में दर्ज खसरा नम्बर 607, 608, 609, 610, 613, 614 व 615 पर अप्रार्थी श्री बाला पुत्र श्री मादा, श्री मांगू पुत्र श्री सूरजमल, श्री भारमल पुत्र श्री हरदेव, श्री भंवरलाल, श्री रामदेव, श्री मेवा, श्री गोपाल व राधा पुत्रगण श्री शादुल समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम डोडियाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर द्वारा डरा धमका कर जबरन कब्जा कर लिया गया है। अतः अप्रार्थीगण के कब्जे से भूमि मुक्त करवा कर दिलवाई जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति उपखण्ड अधिकारी पीसांगन से तहसीलदार पीसांगन को प्राप्त होने पर बाद जांच प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में राजस्व प्रकरण संख्या 1/2003 पंजीकृत कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 05.05.2003 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश अनुसार अप्रार्थीगण की विवादित भूमि से बेदखली व शाश्वत कायम की गई। अप्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आक्षेपीय आदेश से असंतुष्ट होकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी के माध्यम से चुनौती दी गई। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी संख्या 2356/2014 भंवरलाल व अन्य बनाम नारायण व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2017 से निगरानी निरस्त कर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को सक्षम अपीलीय न्यायालय में आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के पश्चात् एक माह की अवधि में अपील पेश करने हेतु आदेशित किया गया। इसी आदेश की अनुपालना में अपीलान्ट्स द्वारा अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 जरिये वकील उपस्थित हुए। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। बहस प्रारंभ होने से पूर्व वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने मियाद के बिन्दु पर प्रारंभिक एतराज दर्ज करवाते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आक्षेपीय आदेश दिनांक 05.05.2003 को निगरानी के माध्यम से वर्ष 2014 में चुनौती दी गई है। अपील लगभग 11 वर्ष के विलम्ब पश्चात् पेश की है अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से ही निरस्त योग्य है। वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए वकील अपीलान्ट्स ने हमारा ध्यान मियाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 59/4 की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आक्षेपीय आदेश के विरूद्व दिनांक 19.005.2003 को ही निगरानी पेश कर ताफैसला निगरानी स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया था, किन्तु निगरानी अदम पैरवी में निरस्त हो जाने के कारण निगरानी वर्ष 2014 में नया नम्बर होने के कारण अंकित किया गया है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के साथ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के स्थगन आदेश दिनांक 23.05.2003 की प्रमाणित प्रतिलिपि की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.02.2017 में मियाद कन्डोन कर अपील एक

न्यायालय कलक्टर अजमेर

कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

माह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया है। उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलान्ट्स द्वारा दिनांक 10.03.2017 को अपील पेश कर दी गई थी, जो अन्दर मियाद है। वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ कब्जा रिपोर्ट दिनांक 17.12.2004 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है जो अवैध है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष उक्त रिपोर्ट पेश नहीं की गई।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम डोडियाना स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 472, 473, 474, 476, 477, 478, 479 व 481 कुल रकबा 29 बीघा 14 बिस्वा जिसकें नये नम्बर 607, 608, 610 से 616 व 615 मिन बने है। उक्त भूमि लोढ़ा स्टेट की थी जिस पर कलकाता उच्च न्यायालय द्वारा कोर्ट ऑफ वार्डस एक्ट के तहत भूमि पर श्री टी.पी. बसु को रिसीवर नियुक्त किया गया। उनके द्वारा विवादित भूमि श्री हरि व ज्वारा भांभी को एक वर्ष के लिए काश्त पर दी गई किन्तु इसके पश्चात् श्री हरि व ज्वारा द्वारा विवादित भूमि का कब्जा नहीं छोड़ने के कारण रिसीवर अधिकारी श्री टी.पी. बसु द्वारा दिवानी कोर्ट में हरि व ज्वारा के विरूद्व बेदखली का दावा पेश किया गया जो डिक्री किया गया व डिक्री की इजराय 28.05.1960 को की जाकर रिसीवर ने भूमि का कब्जा भंवरलाल व अन्य को संभला दिया तब से आज तक अपीलान्ट्स का विवादित भूमि पर निरंतर कब्जा काश्त चले आ रहे है। वकील अपीलान्ट्स ने आगे कथन किया कि दीवानी कोर्ट की बेदखली आदेश के विरूद्व श्री हरि व ज्वारा द्वारा धारा 187 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत विवादित भूमि का कब्जा वायस लौटाने हेतु दावा पेश किया, जो उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा दिनांक 18.06.1962 को खारिज कर दिया। उनके द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष पेश की गई जो दिनांक 08.05.1964 को खारिज कर दी गई। तत्पश्चात् उन्होंने द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष पेश की। उनकी द्वितीय अपील भी दिनांक 07.08.1967 को निरस्त कर दी गई। इस प्रकार श्री हरि व ज्वारा को विवादित भूमि पर से सभी अधिकार समाप्त हो गये। वकील अपीलान्ट्स ने यह भी कथन किया कि राजस्व मण्डल का निर्णय अन्तिम था, उसकों छिपाकर ज्वारा भांभी के पुत्र श्री नारायण द्वारा तहसीलदार अजमेर के समक्ष विवादित भूमि को सरकारी कब्जे में लेने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर सरकार द्वारा सहायक कलक्टर अजमेर के समक्ष 175 का दावा पेश किया, किन्तु न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल के निर्णय के आधार पर दिनांक 24.08.1983 को दावा खारिज कर दिया। इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सहायक जिलाधीश अजमेर के समक्ष धारा 183 बी के तहत बेदखली का दावा पेश किया। सहायक जिलाधीश अजमेर द्वारा बाद सुनवाई के अपने आदेश दिनांक 29.08.1985 से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

रेस्पोन्डेन्ट द्वारा पेश किया गया, यह गलत है। प्रार्थना पत्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें विवादित भूमि पर रेस्पोन्डेन्ट का कब्जा माना जाकर 175 का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है तथा समस्त विधिक प्रक्रिया पश्चात् अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स मय हर्जे खर्चे के निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में वर्ष 1960 से लेकर वर्तमान समय तक यथा तहसीलदार अजमेर, सहायक कलक्टर अजमेर, राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर व अन्य न्यायालयों में विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। अतः अब इस न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में परीक्षण कर किसी प्रकार का निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2003 निरस्त किया जाकर अपील तहसीलदार पीसांगन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे विभिन्न न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर नये सिरें से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 26.07.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner